(310)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः–प.3(54)नविवि/3/2011पार्ट

जयपुर, दिनांकः 27.11.2012

परिपत्र

गृह निर्माण सहकारी समितियों की दिनांक 17.06.99 से पूर्व की आवासीय योजनाओं में निजी खातेदारी भूमि के साथ–साथ राजकीय भूमि (गैर मुमकिन रास्तें, सिवायचक) या अवाप्तशुदा भूमि भी अनेक मामलों में सम्मिलित की हुई है। ऐसी योजनाओं में स्थित राजकीय भूमि या अवाप्तशुदा भूमि पर काटे गये भूखण्डों से प्रीमियम राशि किस प्रकार वसूल की जायेगी इस विषय में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि योजना मानचित्र में राजकीय भूमि के रूप में देय भूमि की नियमन राशि को निजी खातेदारी भूमि की सामान्य प्रीमियम राशि में जोड़कर कुल राशि के योग को सेलेबल एरिया से विभाजित किया जा कर प्रति वर्गगज नियमन राशि की गणना की जावें। राजकीय भूमि का जो अनुपात सुविधा क्षेत्र में गया है उसकी कीमत वसूल नही की जायेगी और इसी प्रकार निजी खातेदार की भूमि पर भी सुविधा क्षेत्र के लिए प्रीमियम/नियमन शुल्क देय नही होगा। यदि स्पष्ट रूप से भूखण्ड राजकीय भूमि पर है या भूमि का स्वामित्व किसी खातेदार का होना स्पष्ट रूप से प्रमाणित नही होता है तो उस भूमि को राजकीय मानते हुए उपरोक्तानुसार नियमन राशि की गणना की जायेगी। राजकीय भूमि की नियमन/प्रीमियम की दर विभागीय आदेश क्रमांक प.3(50)नविवि/3/12 दिनांक 21.09.2012 द्वारा निर्धारित की हुई है।

दूसरा बिन्दु निजी खातेदारी की भूमि पर बसी ऐसी आवासीय योजना के संबंध में हैं जिसके मध्य या लगती हुई राजकीय भूमि पर भी आवासीय भूखण्ड बने हुए है। ऐसी आवासीय योजना पर स्थित भूखण्डो के संबंध में वसूलनीय दरों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जो भूखण्ड निजी खातेदारी भूमि पर स्थित हैं उनसे निजी खातेदारी की भूमि पर ली जाने वाली प्रीमियम राशि वसूल की जायेगी और जो भूखण्ड राजकीय भूमि पर स्थित है उनसे राजकीय भूमि के नियमन दर वसूल की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
प्रमुख शासन सचिव